174

Annex-3

पत्रांक-6/अ7-32/2001 2524

झारखंड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक - 7.10.01

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 से सम्बन्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी0बी0एस0ई0 से राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों की सम्बद्धता के लिये संत स्टीफेन्स स्कूल, हजारीबाग को नीचे अंकित शर्त्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है :-

1. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि दो वर्ष के अन्दर सभी शिक्षक बी0एड0 हो जायेंगे । ऐसा नहीं करने पर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिना सुनवाई किए समाप्त कर दिया जाएगा ।

उपर्युक्त शर्त्त के अतिरिक्त विभागीय नियमावली 1055 दिनांक-5.9.2001 में निहित निम्नांकित शर्त्तों एवं बन्धेजों का पालन करना होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10% से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 वर्षों के निबंधन पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

कृ0पृ0उ0

PRINCIPAL
St. Stephen's School
Hazaribag

Manager
St. Stephen's School
Hazaribag

PRINCIPAL
St. Stephen's School

विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रुप से होनी चाहिये। नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा ।

6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा। साथ ही सामान्य शुल्क 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विद्यालय का कार्य-कलाप राष्ट्रहित में होना चाहिये । विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान बर्द्धन शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एवं योग्यता एवं शिक्षक नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्य शीघ्र पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस० स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रुप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या- 1055 दिनांक-5-9-2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्तों या बन्धेजों के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाये या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड, के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमीय अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कारवाई कर सकेगी ।

कृ०पृ०उ०

Manager
St. Stephen's School
Hazaribag

PRINCIPAL
St. Stephen's School
Hazaribag

PRINCIPAL
St. Stephen's School
Hazaribag

एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों के उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

7/X/04

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड,
रांची ।

ज्ञापांक- 2524 / रांची, दिनांक- 7.10.04

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

7/X/04

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक- 2524 / रांची, दिनांक - 7.10.04

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

7/X/04

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड,
रांची ।

Manager
St. Stephen's School
Hazaribag

PRINCIPAL
St. Stephen's School
Hazaribag

Manager
St. Stephen's School
Hazaribag

PRINCIPAL
St. Stephen's School
Hazaribag